संख्या– 2029 / नौ–5–2015–108बजट / 2014

प्रेषक,

उमाशंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
मानिकपुर जनपद प्रतापगढ।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ:: दिनांक 24 मार्च, 2015

विषयः–वित्तीय वर्ष 2014–15 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि के आहरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–411 / नं.पं.मा. / नगरीय सड़क सुधार योजना / आवंटन–2014–15 दिनांक 23 मार्च, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यह स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है कि शासनादेश संख्या–6693 / नौ–5–2014–108बजट / 2014 दिनांक 10.12.2014 के क्रमांक–24 पर अंकित नगर पंचायत, मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ के कालम सं–7 में अवशेष धनराशि ₹ 33.00 लाख अंकित है।

2. उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 10.12.2014 में अंकित सारणी के क्रमांक–24 के कालम–7 में अंकित धनराशि ₹ 33.00 लाख अवमुक्त धनराशि है, जिसे अवमुक्त धनराशि मानते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 2029(1) / नौ–5–2015–108बजट / 2014,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय / स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ.प्र. लखनऊ / इलाहाबाद।
5. संबंधित अध्यक्ष, नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8 / वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 / 2
7. गार्ड फाईल / कम्प्यूटर सेल / सुपर यूजर, नगर विकास विभाग को बेवसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

paras.GO